

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(2)नविवि / 2021

जयपुर, दिनांक :

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 द्वारा अधिसूचित परतापुर—गढ़ी (जिला—बांसवाड़ा) के नगरीय क्षेत्र हेतु नगर नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये गये परतापुर—गढ़ी मास्टर प्लान—2036 का अनुमोदन कर दिया गया है।

उक्त परतापुर—गढ़ी मास्टर प्लान—2036 की प्रति का अवलोकन कार्यालय नगर पालिका, परतापुर—गढ़ी में सभी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव —प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगर विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलक्टर, बांसवाड़ा।
- वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।
- प्रौद्योगिकी विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाने जाने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, परतापुर—गढ़ी (जिला—बांसवाड़ा)।
- रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
10045003

